UPSI180014442024

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट, महमूदाबाद-सीतापुर।

पीठासीन अधिकारी- रोहित पुरी (उ०प्र० न्यायिक सेवा)-UP3474

फौजदारी वाद संख्या-909/ 2024

उत्तर प्रदेश राज्य.....अभियोजक।

बनाम

1. गुल्शन पुत्र रमेश,
   निवासी ग्राम सुक्खनपुरवा मजरा छतौनी, थाना रामपुर मथुरा, जिला सीतापुर।
2. गोविन्द पुत्र जगदीश,
   निवासी ग्राम छतौनी, थाना रामपुर मथुरा, जिला सीतापुर।

.....अभियुक्तगण।

अपराध संख्या-39/ 2024
धारा-294 भा०दं०सं०,
थाना-रामपुर मथुरा, जिला-सीतापुर।

निर्णय

1. पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। अभियुक्तगण मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पुलिस थाना रामपुर मथुरा द्वारा अभियुक्तगण गुल्शन एवं गोविन्द के विरुद्ध अपराध संख्या-39/ 2024, धारा-294 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत विचारण हेतु आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थी श्याम बाबू सिंह द्वारा थाने पर इस आशय की रिपोर्ट लिखायी गयी कि, "दिनांक-27.01.2024 को देखभाल क्षेत्र व रोकथाम जुर्म जरायम व एन्टी रोमियो डियूटी में मामूर थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि दो व्यक्ति रामपुर मथुरा ब्लाक के पीछे मैदान में खड़े होकर आने-जाने वाली लडकियों से छीटाकसी कर रहे हैं। उक्त सूचना पर विश्वास कर मुखबिर ने मौके पर बताया कि यही दोनों व्यक्ति हैं। एक लडकी निकली तो एक व्यक्ति ने इशारा किया कि मेरी जान कहाँ जा रही हो, बहुत तेज आवाज दिये तो विश्वास हो गया तथा लड़की शर्म खाकर मुंह पीछे करके चली गयी कि एक बारगी दबिश देकर पकड़ लिया। पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम गुल्शन पुत्र रमेश व गोविन्द पुत्र जगदीश बताया।"

3. अभियुक्तगण **गुल्शन एवं गोविन्द** की ओर से जुर्म इकबाल प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर स्वेच्छया जुर्म इकबाल के आधार पर मुकदमें के निस्तारण की याचना की गयी है।

4. अभियुक्तगण का बयान मुल्जिम अंकित किया गया जिसमें उन्होंने घटना को स्वीकार किया तथा अपराध अपनी मर्जी से स्वीकार करना कहा।

5. अभियुक्तगण द्वारा जुर्म इकबाल बयान के आधार पर उनके विरुद्ध धारा-294 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप साबित है। अतः अभियुक्तगण उपर्युक्त जुर्म इकबाल बयान के आधार पर दोषसिद्ध किये जाने योग्य हैं। अभियुक्तगण को धारा-294 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है। दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली लंच बाद पेश हो।

(रोहित पुरी)
सिविल जज (जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट,
महमूदाबाद-सीतापुर।
J.O. Code-UP3474

UPSI180014442024

Digitally signed by ROHIT PURI
Date: 2026.05.09 17:50:06 IST
Reason: Document Owner
Location: Civil Judge (J.D)/J.M.
Mahmoodabad, Sitapur.

लंच बाद दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली पुनः पेश हुई। अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय के समक्ष उपस्थित है।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता व अभियुक्तगण को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि अभियुक्तगण अत्यन्त गरीब व्यक्ति हैं। घर के अकेले कमाने वाले हैं। अतः अभियुक्तगण को कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाय।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण को अधिक से अधिक दण्ड दिये जाने का कथन किया गया।

अभियुक्तगण की ओर से व्यक्तिगत रूप से कथन किया गया कि वे अपने घर के अकेले कमाने वाले सदस्य हैं एवं वे गरीब मजदूरी पेशा व्यक्ति हैं और उन्हें न्यायालय द्वारा कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाए।

उक्त वाद न्यायालय के समक्ष वर्ष 2024 से लम्बित है। अभियुक्तगण अत्यन्त गरीब व्यक्ति हैं तथा गरीब मजदूरी पेशा हैं। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों के आधार पर अभियुक्तगण को निम्न दण्डादेश से दण्डित किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अभियुक्तगण **गुल्शन एवं गोविन्द** प्रत्येक को अपराध संख्या-39/2024, धारा-294 भारतीय दण्ड संहिता, थाना रामपुर मथुरा, जिला सीतापुर के अपराध में दोषी पाते हुए प्रस्तुत मामले की धारा-294 भारतीय दण्ड संहिता में रु० 1000/-(एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न किये जाने पर उन्हें 20 दिन के साधाराण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

दिनांक-09.05.2026

(रोहित पुरी)
सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,
महमूदाबाद-सीतापुर।
J.O. Code-UP3474

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनांक-09.05.2026

(रोहित पुरी)
सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,
महमूदाबाद-सीतापुर।
J.O. Code-UP3474

विजय मौर्य
(स्टेनो)